

257

12001/2011

3
199



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

AV 010036

1. भूमि का प्रकार	ग्राम हाउसिंग व्यवसायिक
2. बॉर्डर / फरमान	माधवाली वी.एन. इरयाद
3. गौनरला	बराबत खुर्द
4. सम्पत्ति का विवरण (संपत्ति प्रकार)	मुद्रा उभिमिगपुराखराला
5. माप की इकाई (हेक्टेयर / वर्गमीटर)	वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल	24365.22 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट नकाशे के अनुसार)	60.00 मीटर चौड़ी सड़क
8. अन्य विवरण (गोशेड / कॉन्स इत्यादि)	कॉन्स
9. सम्पत्ति का प्रकार	ग्राम हाउसिंग प्लॉट
(खाली / फसल / मकान / दुकान / कृषि)	
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल	
(कृषि/मकान की स्थिति में)	
11. कुल आकृति क्षेत्रफल	
12. स्थिति फिनिश / समीकित / अन्य	
13. प्लॉट का मूल्यांकन	
14. तौर / कुर्ज / अन्य	
15. निर्मित क्षेत्रफल	
16. निर्माण का वर्ष	2005
17. राजकीय आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है (हाँ/नहीं)	नहीं
18. प्रतिफल का मगराशि (रुपये में)	7,50,02,000.00
वौहदी:-	
पुरुष 60.00 मीटर चौड़ी सड़क	परिधि: 15.00 मीटर चौड़ी सड़क
उत्तर काकोश शहीद पार्क	दक्षिण 18.00 मीटर चौड़ी सड़क

A. Jamal

आवेदक

लक्ष्मण शर्मा वासुदेव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

09AB 619960

45

CERTIFICATE

In pursuance of the order of the collector No. 18.....
dated 06-04-2011..... passed under Section 10-A at the stamp
act is certified that an amount of **Rs. 1,75,00,500/-** in words
(Rupees One Crore Seventy Five Lacs Five Hundred Only)
has been paid by **Earth Con Construction Pvt. Ltd., Rohtas
K's Trident, Second Floor, 10, Rana Pratap Marg, Lucknow,**
in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State
Bank of India Lucknow by Challan No. **G-100003** dated
29.08.2011, a copy of which is annexed herewith.

Dated : 30.08.2011

M
Chief Treasury Officer
Lucknow
30/08/2011
प्रिय रंजन कुमार
मुख्य कोषाधिकारी
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

8925-

.....

.....

29-8-1011

.....

.....

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा State Bank of India Business Branch Lucknow
(SBI B.B.)

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम Earthcon Construction Pvt. Ltd.
- पता Rohas T's Trident, 11th Floor, Ransapata Marg, Lucknow. W.P.
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) X
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण General Stamp for Certificate.
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि 2030
- चालान की निवल राशि 02
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक का मुहर: 1202-18-51 Gen Stamp

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0030	02	102	00	00	1,75,00,500.00

धनराशि (शब्दों में) One Crore Seventy five Lac

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित 20 AUG 2011 जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर Krupa Paliwal

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या	अंको में

11/08/11

विवरण: राकड़ (विवरण सहित)

(धनराशि रूपों में)

नोट/सिक्कों

1000 x

500 x

100 x

50 x


20 x

10 x

5 x

2 x

1 x



चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

योग : M.D.F.C. Bank Ltd.

D.D.N. - 042747

Rs 1,75,00,500/- Rupee Crore Seventy Five Lac five hundred only -




टिप्पणी:

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्ति) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि का अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

17500500=00
Rupee one crore seventy five lac five hundred only -
Department of
Vidhan Sabha
Date 29/08/2011 in favour of
The Minister of Finance and Law



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
गुप हाउसिंग भूखण्ड के लिए
किराया किश्त का किरायेदारी अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 24 माह 01 वर्ष दो
हजार 1965 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम
1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके
आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात् 'स्वामी' कहा गया है, जिस पर

A. Jaiswal
आवंटी

Handwritten signature and text, possibly 'गुप हाउसिंग भूखण्ड'.

के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है, के माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स अर्थकांन कांस्ट्रक्शन प्रा० लि० वर्तमान पता जे०-25ए, सेक्टर-18, नोएडा, उ०प्र०-201301 जिसे एतदपश्चात् किराया किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूँकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक गुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त कय योजना के अधीन एक व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिए पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतदपश्चात् निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया किश्त क्रेता को गुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूँकि किराया किश्त क्रेता ने 30 प्रतिशत अग्रिम धनराशि रूपया 7,50,02,000.00 (रूपया सात करोड़ पचास लाख दो हजार मात्र) का भुगतान पहले ही कर दिया गया है जिसमें टोकन मनी की जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है।

A. Jmal

आवंटी

लगातार अग्रिम आवेदन

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया किश्त क्रेता के प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया किश्त क्रेता भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

(1.) किराया किश्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या E-1/G.H.-1 है और जो आन्नपाली योजना, हरदोई रोड़, लखनऊ में सेक्टर संख्या E-1 में स्थित है और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें आगे दी गयी अनुसूची एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

(2.) किराया किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 06 वर्ष 03 माह की (25 तिमाही किश्त) एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा, जो वर्ष दो हजार ग्यारह के सितम्बर मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष दो हजार सत्रह के दिसम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी।

(3.) किराया किश्त क्रेता रूपया 1,09,08,027.00 (रूपया एक करोड़ नौ लाख आठ हजार सत्ताईस मात्र) की तिमाही किश्त की मांग की प्रतीक्षा किये बिना उस तिमाही के बाद जिस तिमाही में किश्त देय हो जाय, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिनांक को स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया किश्त क्रेता द्वारा पहले ही कर दिया

A. Jamal

आवंटी


रहापत अर्थात् आयुष

गया और जिसे माह सितम्बर, 2011 की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2011 के माह दिसम्बर के प्रथम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कलैण्डर मास के तुरन्त बाद किराया किश्त क्य की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

(4.) किराया किश्त क्रेता आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगर पालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भूस्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगायी गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया किश्त क्रेता स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी को ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मांगने की शक्ति होगी।

(5.) किराया किश्त क्रेता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जो स्वामी उसी कालोनी में

A. Fomal
आवंटी


आवंटी

या पड़ोस में या अन्य सम्पत्ति के अध्यासियों की राय में लोक कण्टक हो और उसे प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनायी गयी है।

(6.) किराया किश्त क्रेता एतदद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्ति युक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने और मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो किराया किश्त क्रेता के खर्च पर स्वामी करवा सकता है और किराया किश्त क्रेता एतदद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है। परन्तु यह और कि यदि किराया किश्त क्रेता युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति न करे तो स्वामी उसके साथ-साथ वसूली के व्यय भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का हकदार होगा।

(7.) किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछायी गयी किसी

H. Fimal
आवंट


आवंट

सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(8) किराया किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिबर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिबर्द्धन चाहे जो भी हो, के लिए ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9.) किराया किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उस सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथा स्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण बंध या अनुमन्य नहीं होगा जहाँ समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति

A. J. J. J.

आवंटी

सहायक अधिकारी

हैं जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(10.) किराया किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धों पर पालन करेगा।

(11.) किराया किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर जाने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा सहमति है।

(12.) किराया किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत उसका स्वरूप और उसकी स्थिति उसके लिए अपनायी गयी विशिष्टियों प्रयुक्त सामग्री और कारीगरी संरचना की स्थिरता और टिकाऊ पर आवास का प्रकार साज सामान और अधिष्ठापन और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ ऐसी अन्य सभी बातें भी उनसे उक्त सम्पत्ति बनी है स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरह रहेगा जिससे आपत्तियाँ उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये।

(13) किराया किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में भूखण्ड / भवन के भावी

A. Jural

आवासीय

लक्ष्मण अर्जुन मायुस

स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया किश्त क्रेता के मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बाध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

परन्तु किराया किश्त क्रेता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया किश्त क्रेता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(14.) किराया किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक माह की छूट दी जायेगी।

यदि वह किश्त में सम्मिलित साधारण व्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड व्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया किश्त क्रेता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज के

A. Jambh
आयंटी

- Jambh
रहायक आवास आयुक्त


भुगतान का देनदार होगा। लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यतिक्रम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भूराजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया किश्त क्रेता का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

(15.) यदि किराया किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा भाव या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिए उसका उपयोग हो, तो किराया किश्त क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिए स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

(16.) यदि किराया किश्त क्रेता किराया किश्त कथ की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ -साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त करने के कारण होने वाले हानि की वसूली करेगा।

A. Jamal

आवंटी


सहायक आर. आर. आर. आर.

(17.) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई जॉच की जायेगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया किश्त क्रेता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिए उसके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों को छिपाया गया हो तो स्वामी के लिए किराया किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा और जब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और किराया किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(18.) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधि पूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधि पूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

(19.) स्वामी एतद्वारा किराया किश्त क्रेता को किराया किश्त कथ की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी

A. Patel
आपटी


स्वायत्त आवास प्राधिकरण

को और सार्वजनिक निकायों को यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा -5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

(20.) स्वामी एतद्वारा किराया किश्त क्रेता को किराया किश्त कथ की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा-5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

(21.) हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया किश्त कथ की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गयी संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।

A. Final

आवंटी



सहायक आशान्तापुस्तक

(22.) यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्धों की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

(23.) इस अनुबन्ध में प्रवृत्त रहने के दौरान इस अनुबन्ध में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, स्वामी को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार, जीवन बीमा निगम, और आवास एवं विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य अभिकरण या संगठन के पक्ष में उक्त सरकार, निगम अभिकरण या संगठन के विभिन्न आवासीय और ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए स्वामी द्वारा पहले ही प्राप्त किये गये या इस अनुबन्ध के निष्पादन के पश्चात प्राप्त किये जाने वाले ऋणों की प्रतिभूति के लिए बन्धक या प्रभार का सृजन करने का अधिकार होगा। किराया किश्त क्रेता इस शर्त के से सहमत है और ऐसे प्रभार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति चाहे किसी प्रकार की हो, न उठाने का बचन देता है।

(24.) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदनुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराया जायेगा एवं असंगत शर्तें लागू न होंगी।

A. Jaiswal
आवंटी


आवास आयुक्त

किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्ध

1. यह उपबन्ध किराया किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट / भूखण्ड / भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. किराया किश्त क्रेता अपने फ्लैट / भूखण्ड / भवन के भीतर, कूड़े रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री कूड़ा कर-कट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
3. ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
4. स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा करकट रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावें।
5. किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेट्टी को किराया किश्त क्रेता के फ्लैट / भूखण्ड / भवन के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
6. भवन के साइड के भाग के खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

A. J. Patel
आवंटी

जहायक आवासीय जायुक्त

7. किराया किश्त क्रेता के फ्लैट / भूखण्ड / भवन या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखेगा।
8. फ्लैट / भूखण्ड / भवन के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील या आपत्ति जनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।
9. भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।
10. प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति की कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
11. प्रत्येक व्यक्ति इस बात का सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठा को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।
12. सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़िया, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा और न करने की अनुमति दी जायेगी।
13. परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

A. Javed
आवंटी

- 201
आवंटी

14. उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया किश्त क्रेता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।
15. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान अलग से करना होगा।
16. व्यवसायिक भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रवेशन ग्रहीता पर लागू होंगे किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्ज या व्याज का देनदार नहीं होगा।

गुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या E-1/G.H.-1 का कुल मूल्य रूपया 25,00,06,333.00 (रूपया पचीस करोड़ छः हजार तीन सौ तेतीस मात्र) जिसका आधा रूपया 12,50,03,166.50 (रूपया बारह करोड़ पचास लाख तीन हजार एक सौ छियासठ व पैसा पचास मात्र) होता है। गुप हाउसिंग भूखण्ड के विरुद्ध शेष किश्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है तो उसमें व्याज/दण्डव्याज नियमानुसार देय होगा।

अतएव परिषद द्वारा निर्धारित भूखण्ड के कुल मूल्य पर 7 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क की धनराशि रूपया 1,75,00,000.00 मात्र निर्धारित होती है, जिसके विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट,

A. Jamal
आवंटी


मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट

लखनऊ द्वारा अधिकृत स्टैट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ में चालान संख्या जी-100003 दिनांक 29.08.2011 को स्टैम्प शुल्क के रूप में धनराशि रूपया 1,75,00,500.00 (रूपया एक करोड़ पचहत्तर लाख पाँच सौ मात्र) मैसर्स अर्थकॉन कांस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जे०-25ए, सेक्टर-18, नोएडा, उ०प्र०-201301 द्वारा जमा कराया जा चुका है, बैंक द्वारा प्रदत्त जमा रसीद की छायाप्रति एवं मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अनुबन्ध के साथ संलग्न है एवं धनराशि रूपया 200.00 मात्र के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या E-1/G.H.-1 संलग्न प्रदेशन पत्र के अनुसार 6 माह के भीतर है।

अनुसूची-तीन

किराया किश्त कय के उपबन्ध

1. यह उपबन्ध किराया किश्त कंता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके व्यवसायिक भूखण्ड का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. किराया किश्त कंता अपने व्यवसायिक भूखण्ड में कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रद्दी सामान और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
3. ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डाला जायेगा।

A. J. J. J.
आवंटी

J. J. J.
सहायक अर्जात आपुस

अनुसूची-एक

परिषद की आम्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ स्थित सेक्टर संख्या E-1 जिसकी संख्यांकित संख्या E-1/G.II.-1 एवं भूमि का क्षेत्रफल 24355.22 वर्गमीटर है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

उत्तर:	काकोरी शहीद पार्क	पूर्व:	संलग्न
पूर्व:	60.00 मीटर चौड़ी सड़क	पश्चिम:	साइट प्लान
दक्षिण:	18.00 मीटर चौड़ी सड़क	उत्तर:	के
पश्चिम:	15.00 मीटर चौड़ी सड़क	दक्षिण:	अनुसार

अनुसूची-दो

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने पहली बार ऊपर लिखित दिनांक मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये:-

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर:

1. नाम: मौहम्मद एमन

2. पता: 107H/37

जब म लुक्का बाटी
फाल्गुन बाग़ों की सामुदायिक अख़्तियार

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर:

1. नाम: आदिल एरफ़ान

2. पता: 502/12A मिदवाँसवाँ

मुबारक नगर 51 लोहावाँ
लखनऊ 37

किराया किरत केता का सुपाठ्य
हस्ताक्षर और पता

हस्ताक्षर:

A. Juma खावंडी
2. नाम: मैसर्स अर्थकॉन कॉन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०
3. पता: द्वारा हस्ताक्षर हेतु अधिकृत
(अहमद जमाल)

पुत्र डा० एम० आई० खान

प्रथम साक्षी

1. हस्ताक्षर: Am

2. नाम:

3. पता: C.P. A. G. S
Acct

द्वितीय साक्षी

1. हस्ताक्षर: Am

2. नाम:


3. पता: J.A.O.

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

सहायक आवास आयुक्त

सहायक आवास आयुक्त
/ सम्पत्ति प्रबन्धक






construction division - 21
U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
sector - E. AMRAPALI Yojna
HARDOI ROAD, Lucknow.

SITE PLAN

NAME OF SCHEME - आमुपाली यो. ह. रो, लखनऊ
PLOT HOUSE NO - E-1/GH-1

NAME OF ALLOTTEE - मो. अरुण कान्स्ट्रक्शन प्रा. लि.



AREA AS PER DRG. ---

WIDTH --- M

LENGTH --- M

TOTAL AREA 24355.22 SQ.M

LOCATION

in NORTH KAKORI SHEED PARK

in SOUTH 18.00 M. WD. ROAD.

in EAST 60.00 M. WD. ROAD.

in WEST 45.00 M. WD. ROAD.

Rafi Ahmad
(RAFI AHMAD)
D/MAN

Rajesh Misra
(RAJESH MISRA)
Jr. Er.

Asst. Er.
Asst. Er.

A. Jamal
Allotee


...
E.M.O.

A. Jamal

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता नाम व पता :- श्री. एस. अर्जुन कुमार कोट्टरु शास्त्री, 9A लि०, 1-25A, Sector 18, Noida, U.P.
द्वारा ए.एस.ए.ई.व. अधि० द्वारा अ.एस.ई. जमान, 8/0.10x-संगम आर्टिस्टिक, 26A-Ka. बजौरा हाट रोड, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता/नाम व पता :- अनिल कुमार महापात्रा काकास काकुवा प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आम्रपाली योजना, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



अनिल कुमार महापात्रा
विक्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 29/09/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 8328

पृष्ठ सं. 211 से 268 पर क्रमांक 12001

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द प्रकाश मिश्र

उप निबन्धक (चतुर्थ)

लखनऊ

29/9/2011



समाप्त करके प्रत्येक बन्धन को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा

उक्त आदेश तत्पश्चात् तथा निर्धारित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी उसका भी मुआवजा अलग में करना होगा।

निम्नलिखित अनुबंध निर्धारण हेतु स्टेट्स शुल्क तथा निगम/सरकार का परिषद द्वारा लगाया जा सकता है तथा जो बहुत प्रवेशन प्रतीक को करना होगा।

प्रकार का प्रवेशन प्रथम में तत्कालीन धनराशि/आवधिक/आवटी की पूर्ण निवारण अर्थात् नकद पूर्ण करनी होगी। मुख्यतः की निरस्त करने का प्रयत्न कर प्रस्तुत करने पर अर्थात् अदालत पर प्रवेशन निरस्त होता है तो प्रवेशन सम्पूर्ण होकर धनराशि नकद करन हुए निष्ठागुण्यर अन्त कर्तव्यो करती हुए निरस्त किया जाएगा।

प्रवेशन अर्थात् द्वारा प्रवेशन से सम्बन्धित त्वीकृत करकर तदनुसार ही उचित मुख्यतः पर निवारण करवाया जाएगा।

ऐसी ही जो धनराशि का निस्तान से मुआवजा करने की दशा में जो परिषद को न के अतिरिक्त अन्य अर्थ होगा जो वास्तविक प्रयोजन से बंध होगा।

प्रथम में ही हेतु बैंक अफेयर परिषद खाते में क्रेडिट होने पर प्रवेशन प्रथम स्थान होगा।

युव हाउसिंग/व्यावसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के निवेशकों/आवटियों द्वारा अपने सम्पत्तियों, प्रवेशन को आवंटित मुख्यतः पर निर्मित सम्पत्ति को तत्कालीन करणों को अधिकतम नहीं होगा जबतक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद को प्रतिक्रिया सम्पत्त होने एवं निवेशक/आवटी के पक्ष में परिषद की ओर से तत्कालीन होने पर ही निवेशक/आवटी द्वारा प्राइको के पक्ष में तत्कालीन करने का अधिकार होगा।

युव हाउसिंग/व्यावसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के आवंटितियों की आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्यतः/अर्थात्/सम्पत्ति के एग्रीमेन्ट 20 सेल (Agreement to sale) के तहत जो भी विक्रय धनराशि (Sales proceed) प्राप्त होगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि परिषद में निर्धारित सीमा तक जमा करनी होगी। यह बाध्यता प्रत्येक एग्रीमेन्ट 20 सेल में उक्त दशा में हुनगे प्रत्येक वह जिस सीमा तक परिषद को विक्रय(धनराशि) आवटी पर वकालत की प्रमाणी रहेगी।

निवेशकों/व्यावसायिक/युव हाउसिंग मुख्यतः के आवटी द्वारा सम्पत्ति, एक मुआवजा प्रत्येक के अनुसार मुआवजा न केवल उन को अर्थात् अनुबंध के निर्धारण होगा जो सम्पत्तियों को जहाँ में परिषद को अर्थ धनराशि का मुआवजा की प्रमाणित करणों अन्त में अधिकतम होगा।

आवटियों/अधिकारों के सम्बन्ध में परिषद का पूर्ण मुआवजा प्राप्त होने तक सम्पत्ति निर्मित द्वारा निर्मित प्रवेशन की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद को होगा।

(Handwritten signature)

A. Javed

1. स्टांप्प शुल्क का 124399.00 तथा अनुदान/विलेख शुल्क हेतु शुल्क रु० 300/- की होल्ड प्रिंटेड शुल्क 50/- साइड प्लान हेतु रु० 100/- कुल रु० 824849.00 पी०एन०बी० टाकुरगंज लखनऊ में परिवर्ध के खाता सं० सी०ए०-980 में डि० 31.08.11 तक जमा करने का कष्ट करे।

2. मन्थ द्वारा अधीकृत व्यक्ति की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किल्ली सम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशम प्रहीता का नाम जिला/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तालिपि में हो तथा चार फोटो ग्रान्त पासपोर्ट साइज बिना प्रमाणित।

3. रु० 100 का नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर मीटर बाँड हेतु।

4. अनुदान/विलेख निष्पादन हेतु कुल स्वीकृत मूल्य का 7 प्रतिशत देय रु० 17483200.00 का स्टाम्प पेपर। शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क में कमी/वृद्धि हो सकती है।

5. भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं 20 प्रतिशत रु० 49951512.00 की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुदान निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकगा।

6. कब्जा हेतु दिनांक 30.09.11 तक सनस आधिकारिकताओं को पूर्ण करने का कष्ट करे अथवा परिवर्ध नियमानुसार दिनांक 31.10.11 से रु० 50/- प्रतिदिन को दर से विलेख शुल्क भी देय होगा।

7. भूखण्ड के मूल्य एवं मासिक किरता की धनराशि पी०एन०बी० टाकुरगंज लखनऊ में परिवर्ध के खाता सं० सी०ए०-980 में जमा की गयी धनराशि को अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

8. तीन नए साइड प्लान अधिशाली अनि० निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आवास एवं विकस परिवर्ध आयपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय
(रमेश्वर प्रसाद)
सहा० आवास आयुक्त

A. Jaiswal



कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ

पंजीकृत



पत्रांक 340

स०प्र० / आम्रपाली लखनऊ

संशोधित प्रवेश पत्र
दिनांक 30-07-2011

संख्या

मैसर्स अर्थकान कास्ट्रक्शन प्रा० लि०
जे-25ए, सेक्टर-16,
नोएडा, उ०प्र० 201301

विषय:- परिषद की आम्रपाली योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या
ई-1/जी०एच०-1 का संशोधित प्रदेशन-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि परिषद की आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ के अन्तर्गत दि० 29.01.2011 की नीलानी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या ई-1/जी०एच०-1 क्षेत्रफल 24331.18 आप के पक्ष में प्रदेशन पत्र सं० 343 दि० 11.04.11 द्वारा अर्बिट किया गया है। अधिशासी अभि० नि० खण्ड-21 के पत्रांक 577/डब्ल्यू-3/20 दि० 25.05.11 द्वारा उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 24331.18 वर्गमी० के स्थान पर 24766.07 वर्गमी० का संशोधित मानचित्र प्रेषित किया गया है अर्थात् उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल में 434.89 वर्गमी० की वृद्धि हुई है। अतः उपरोक्तानुसार बड़े हुए क्षेत्रफल के आधार पर पूर्व में निर्गत प्रदेशन पत्र निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

(1)	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० ई-1/जी०एच०-1 का क्षेत्रफल	24766.07 वर्ग मी०
क	स्वीकृत उच्चतम बोली प्रति वर्ग मी०	₹ 10265.00
ख	भूखण्ड का कुल मूल्य (फ्री होल्ड शुल्क सहित)	₹ 254223709.00
ग	टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि	₹ 24730500.00
घ	प्रदेशन पत्र के निर्गत तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि जो दिनांक 01.04.11 से दि० 30.06.11 तक देय है (किरतने टोकन धनराशि समावोजित है।)	₹ 26114242.00
ङ	प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि से छः माह के अन्दर देय 10 प्रतिशत धनराशि जो दिनांक 01.07.11 से दि० 30.09.11 तक देय है।	₹ 26422371.00
च	स्वीकृत मूल्य की शेष 70 प्रतिशत धनराशि अर्थात् 18 प्रतिशत धनराशि सहित 25 तिमाही किरतों में निर्धारित किया गया है।	₹ 177960506.00
छ	प्रथम त्रैमासिक किरत की धनराशि जो दि० 10.09.11 से प्रारम्भ होगी।	₹ 11092935.00
ज	तिमाही किरतों की सं०-25	

A. Javed

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)
 150,006,333.00 75,002,000.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000
 प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री मेसर्स अर्ककान कांस्ट्र.प्र.लि.द्वारा अधि.हासक. अहमद जमाल
 पुत्र श्री एम आई खान
 व्यवसाय व्यापार

निवासी स्याही 26-ए/के ए वजीर हसन रोड लखनऊ
 अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/9/2011 समय 7:53PM
 वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द प्रकाश मिश्र
 उप निबन्धक (चतुर्थ)

लखनऊ

29/9/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद मन्ने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
 विक्रेता क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
 श्री अनिल कुमार सहायक आवास आयुक्त
 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
 और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
 रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मेसर्स अर्ककान कांस्ट्र.प्र.लि.द्वारा अधि.हासक.
 अहमद जमाल
 पुत्र श्री एम आई खान
 पेशा व्यापार
 निवासी 26-ए/के ए वजीर हसन रोड लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अरुण सक्सेना योजना सहायक

पेशा नौकरी

निवासी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ

व श्री काशिफ इरफान
 पुत्र श्री इरफान अहमद

पेशा नौकरी

निवासी मुफारिव नगर लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द प्रकाश मिश्र
 उप निबन्धक (चतुर्थ)

लखनऊ

29/9/2011

3. वित्तीय किरत प्रत्येक त्रैमासिक भाग के प्रथम दिनांक से देय होगी।
4. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी उसका भी भुगतान अलग से करना होगा।
5. वित्तीय अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टेम्य शुल्क नगर निगम/सरकार या परिषद द्वारा समारो मय समस्त करो का वहन प्रदेशन प्रहीता को करना होगा।
6. प्रदेशन प्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण, टोकन धनराशि जप्त करते हुए नियमानुसार अन्य कटौतियाँ करते हुए निरस्त किया जायेगा।
7. प्रदेशन प्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदनुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जाएगा।
8. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 17 प्रतिशत को 2% से अतिरिक्त ब्याज देय होगा जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।
9. टोकन मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते में क्रेडिट होने पर प्रदेशन पत्र मान्य होगा।
10. ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के निवेशकों/आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्रहकों को आवंटित भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराने का अधिकार नहीं होगा जबतक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद के प्रति देयता समाप्त होने एवं निवेशक/आवंटी के पक्ष में परिषद की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक/आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने का अधिकार होगा।
11. ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक/संस्थागत सम्पत्तियों के आवंटितकों को आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भूखण्ड/फ्लेट/सम्पत्ति के एग्रीमेन्ट टू सेल (Agreement to sale) के सापेक्ष जो भी विक्रय धनराशि (Sales proceed) प्राप्त होगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि परिषद में निर्धारित सीमा तक जमा करनी होगी। यह बाध्यता प्रत्येक एग्रीमेन्ट टू सेल में उस दशा में होगी जबतक वह जिस सीमा तक परिषद की किरतें(धनराशि) आवंटि पर बकाया हो, प्रभावी रहेगी।
12. निवेशकों(व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटि) द्वारा उपरोक्त देय भुगतान सिड्यूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्रावधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में परिषद को देय धनराशि को नू-राजस्व की भाँति धनराशि बसूल करने का अधिकार होगा।
13. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रम द्वारा किसी प्रकार की बसूलों का प्रथम अधिकार परिषद को होगा।

H. Javed

विक्रेता


Registration No.: 12001

Year: 2,011

Book No.: 1

0101 अनिल कुमार सहायक आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ
नौकरी



शुल्क व प्रमाणित

1. विभाजन शुल्क रु० 824399.00 तथा अनुबन्ध/विलेख हेतु शुल्क रु० 300/- को होल्ड पुस्तिका शुल्क 50/- साइड प्लान हेतु रु० 100/- शुल्क रु० 824848.00 पी०एन०बी० ठाकुरगंज लखनऊ में परिषद के खाता सं० सी०ए०-980 में दि० 30/09/11 तक जमा करने का कष्ट करे।
2. संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति की दो प्रमाणित फोटो व इस्ताफर सहित जो किना राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेश में प्रहीता का नाम निता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा धार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साइज बिना प्रमाणित।
3. रु० 100 का नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर नीटर बांड हेतु।
4. अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु कुल स्वीकृत मूल्य का 7 प्रतिशत देय रु० 17795700.00 का स्टाम्प पेपर। शासनादेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क में कमी/वृद्धि हो सकती है।
5. भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने एवं 20 प्रतिशत रु० 50844742.00 की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकेगा।
6. कब्जा हेतु दिनांक 30/09/11 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करे अन्यथा परिषद नियमानुसार दिनांक 01/10/11 से रु० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।
7. भूखण्ड के मूल्य एवं मासिक किश्तों की धनराशि पी०एन०बी० ठाकुरगंज लखनऊ में परिषद के खाता सं० सी०ए०-980 में जमा की गयी धनराशि की अधिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।
8. तीन नग साइड प्लान अधिशास्त्री अमि० निर्माण खण्ड-21 उ० प्र० आदार एव दिल्ली परिषद आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ से प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत होगा।

महर्षीय

(रामेश्वर प्रसाद)

सहा० आवास आयुक्त

A. J. J. J.

क्रेता

Registration No. : 12001

Year : 2,011

Book No. : 1

0201 मेसर्स अर्ककान कॉन्स्ट्रू.प्र.लि.द्वारा अधि.हास्क्ष. अहमद जमाल
एन आई खान
26-ए/के ए वजीर हसन रोड लखनऊ
ध्यापार

